आना सागर झील

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को अजमेर की **आना सागर झील** किनारे बने **सेवेन वंडर्स** और **फूड कोर्ट** को हटाने का आदेश दिया।

मुख्य बिंदु

- **मुद्दे के बारे में:**
  - **सर्वोच्च न्यायालय** ने **सेवन वंडर पार्क** को **छह महीने** के भीतर हटाने या अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है, जबकि **फूड कोर्ट** को **7 अप्रैल**, 2025 तक पूरी तरह ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है।
  - इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वेटलैंड क्षेत्र को जितना नुकसान पहुँचा है, उतना ही नया वेटलैंड **सिटी एरिया** में विकसित किया जाए।
  - नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भी झील के वेटलैंड क्षेत्र को नुकसान पहुँचाने को लेकर कड़ा रुख अपनाया था।
- **याचिका**
  - अजमेर के पूर्व पार्षद ने आना सागर झील के किनारे अवैध निर्माण को लेकर आपत्ति जताई थी।
  - उन्होंने आरोप लगाया कि यह निर्माण वेटलैंड क्षेत्र और मास्टर प्लान की अवहेलना कर किया गया था।
  - इसको लेकर उन्होंने **NGT** में याचिका दायर की थी, जिसके बाद अगस्त 2023 में निर्माण हटाने के आदेश जारी किये गए।
  - इन आदेशों के खिलाफ अजमेर विकास प्राधिकरण ने जनवरी 2024 में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी।

आनासागर झील

- अजमेर में स्थित यह एक **कृत्रिम झील** है, जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता **अरुणोराज या आणाजी चौहान** ने बारहवीं शताब्दी के मध्य (1135-1150 ईस्वी) करवाया था।
  - आणाजी द्वारा निर्मित कराए जाने के कारण ही इस झील का नाम आणा सागर या आना सागर पड़ा।
- आना सागर झील का विस्तार लगभग **13 किमी. की परिधि** में फैला हुआ है।
- बाद में, मुगल शासक जहाँगीर ने झील के प्रांगण में **दौलत बाग** का निर्माण कराया, जिसे **सुभाष उद्यान** के नाम से भी जाना जाता है।
- **शाहजहाँ** ने **1637 ईस्वी** में इसके आसपास **संगमरमर की बारादरी (पवेलियन)** का निर्माण कराया, जो झील की सुंदरता को और बढ़ाता है।
- आना सागर झील **अजमेर का प्रमुख जल स्रोत** होने के साथ-साथ स्थानीय जैवविविधता और **प्रवासी पक्षियों** के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ana-sagar-lake